तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र संख्या 89 / 2024 GCMS NO. 2024/360** **उनवानी कृपाल सिंह बनाम कमलेश आदि** **अन्तर्गत धारा 111 / 128 एल.आर.एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6 से 8 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि वाके ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का टीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 1.02 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 348 रकबा 0.98 हेक्टेयर भूमि की उत्तरी सीमा का पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम **किशनपुरा** पटवार हल्का **टीबा** तहसील खेतड़ी के हाल खाता संख्या 97 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 1.02 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 348 रकबा 0.98 हेक्टेयर की प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2024 द्वारा पटवारी हल्का टीबा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 19.06.2024 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा **आदेश** अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **किशनपुरा** पटवार हल्का **टीबा** तहसील खेतड़ी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 1.02 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 348 रकबा 0.98 हेक्टेयर की उत्तरी सीमा की पटवारी हल्का **टीबा** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 के अनुसार 2000/– रूपये की फीस पर भूमि खसरा नम्बर 346, 351 के खातेदार अप्रार्थीगण की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 347, 348 की सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Banshi Dhar Yogi Date: 2024.11.18 16:17:08 IST Reason: SelfAttested न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.) (बन्शीधर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	